

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.2(1401)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-5/03651/2021

जयपुर, दिनांक: 30.09.2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(1401)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-5/02831/2021 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा श्री किशन स्वामी, सहायक प्रोग्रामर का स्थानांतरण/पदस्थापन कार्यालय-सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-पांचू, बीकानेर से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-मेड़ता, नागौर में श्री विवेक आर्य, सहायक प्रोग्रामर के स्थान पर किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2021 के द्वारा श्री किशन स्वामी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.08.2021 के प्रभाव एवं क्रियांवयन पर रोक लगाई गई है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में श्री किशन स्वामी अपने पूर्व पदस्थापित कार्यालय यथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-पांचू, बीकानेर में यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-नियमानुसार यात्रा भत्ता/योगकाल देय होगा।

आज्ञा से,



( सुनील छाबडा )

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (प्रभारी मंत्री महोदय, सूप्रौ. और संचार विभाग) राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 कार्यालयाध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....।
- 5 प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 6 प्रभारी अधिकारी विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)/लीगल सैल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 7 संबंधित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि तुरन्त प्रभाव से नव पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट oic.estt@rajasthan.gov.in पर ई-मेल करें।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव